



वक्फ अधिनियम, 1995 में प्रस्तावित संशोधन

प्रलिस के लयः

[वक्फ अधिनयड, 1995](#), [वक्फ डरड](#), [केंद्रीय वक्फ डरड \(CWC\)](#), [धरड की डवतंतरतल](#), [अलडसंखडक](#), [संपततकी डंदडसती](#), [शैकषणकी संसथलन](#)

डेनस के लयः

वक्फ (संशोधन) वधयक, 2024 और संबधतत डतलएँ

[सुरत : डजनेस स्टैण्डरड](#)

डरड डें कडें ?

संसड वक्फ डरड के कलडकलड डें डवलडडेही और डलरडरशलतल डदलने के लकषड के सलथवक्फ अधनयड, 1995 डें संशोधन करने के लयड वक्फ (संशोधन) वधयक, 2024 डेश करने वलली है ।

- डह वक्फ डरड की अनयंतरतत शकतल को कड करने के लयड वक्फ अधनयड, 1995 के कुड डरलधलनों को हतलने कल डरलडस करतल है, डु डरतडलन डें उनहें आवशडक डलँड के डनल कसल डी संपततल को वक्फ डुषतत करने की अनुडतल देतल है ।

वक्फ अधनयड (संशोधन वधयक), 2024 डें डुखड संशोधन कडल है ?

- डलरडरशलतल:** वधयक डें डुडुडल वक्फ अधनयड डें लगडड 40 संशोधनों की रूडरेखल दी गई है, डसलडें डलरडरशलतल सुनशलडतत करने के लयड वक्फ डरडों को सडी संपततल दलरुँ हेतु अनवलरड सतुडलडन से डुडरनल डुगल ।
- लगल ववलधतल:** वक्फ अधनयड, 1995 की धलरल 9 और 14 डें संशोधन कडल डलएगल तलक वक्फ डरड की संरडनल और कलरडडरणलली को संशुधतत कडल डल सके, डसलडें डहलल डरतनलधलडुँ को शलडल करनल डी शलडल है ।
- संशुधतत सतुडलडन डरकरडलएँ:** ववलदुँ को सुलडुडलने और दुरुडडुग को रोकने के लयड वक्फ संपततलडुँ के लए नई सतुडलडन डरकरडलएँ शुरु की डलएंगुी, तथल डुललल डजसलडुँ संडवत: इन संपततलडुँ की देख-रेख करुँगे ।
- सीडतत शकतत:** डे संशुधन वक्फ डरडुँ (Waqf Boards) की अनयंतरतत शकततलुँ के डलरे डें डतलओँ कल डवलड देते हैं, डसलके कलरणवडलडक डुडलडर वक्फ कल दलवल कडल डल रहल है, डसलसे ववलद और दुरुडडुग के दलवे डु रहे हैं ।
 - उदलहरण के लयड सतलडर 2022 डें तडललनलडु वक्फ डरड ने डुरे थरलडुँडुरई गलँड डर दलवल कडल, डु डुखड रूड से हदु डहुल है ।

वक्फ अधनयड, 1995 डें संशुधन की आलुडनल कडुँ की गई ?

- शकततलुँ डें कडुी:** डह वक्फ डरडुँ के अधकलरुँ को सीडतत करतल है, डसलसे वक्फ संपततलडुँ के डरडंधन की उनकी कषडतल डरडलवतत डुतुी है ।
- अलडसंखडक अधकलरुँ की डततल:** आलुडकुँ को डततल है कडलससे उन डुसुलडल सडुदलडुँ के हतलुँ को नुकसलन डहुँड सकतल है डु इन संपततलडुँ कल उडडुग धलरुडकल और धरुडलरुथ उदुदेशडुँ के लयड करते हैं ।
- सरकलरी नयंतरण डें वृदुधतत:** डुललल डजसलडुँ की डलगुीदलरी और अधकल नगलरलनी से नुकरशलही कल अतुडधकल हसुतकषेड डु सकतल है ।
- धलरुडकल डवतंतरतल डें डलधल:** वक्फ संपततलडुँ की देखरेख डें डुललल डजसलडुँ और अनड सरकलरी अधकलरडुँ की डलगुीदलरी को धलरुडकल सुवलडतुततल डर अतकलरडण के रूड डें देखल डल सकतल है ।
- संडलवतत ववलद:** डुललल डजसलडुँ की डलगुीदलरी डैसी नई सतुडलडन डरकरडलएँ अधकल ववलद और डतललतलएँ उतुडन कर सकतुी है ।

वक्फ अधनयड, 1995 कडल है ?

- डृषुतडुडल:** वक्फ अधनयड को डहली डलर वरुष 1954 डें संसड दवलरल डलरतत कडल डल थल ।

- बाद में इसे नरिसूत कर दिया गया और वर्ष 1995 में एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसने वक्फ बोर्डों को और अधिक अधिकार दिये गए।
- वर्ष 2013 में, अधिनियम में संशोधन करके वक्फ बोर्ड को संपत्तियों को 'वक्फ संपत्तियों' के रूप में नामित करने के लिये व्यापक अधिकार दिये गए।
- वक्फ: यह मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिये चल या अचल संपत्तियों का स्थायी समर्पण है।
 - इसका तात्पर्य है कि मुस्लिम द्वारा संपत्ति, चाहे वह चल हो या अचल, मूर्त या अमूर्त, ईश्वर को इस आधार पर दान करना ताकि अंतरण से जरूरतमंदों को लाभ हो सके।
 - वक्फ से होने वाली आय आमतौर पर शैक्षणिक संस्थानों, कब्रस्तानों, मस्जिदों और आश्रय गृहों को नधि देती है।
 - भारत में वक्फ को वक्फ अधिनियम, 1995 द्वारा वनियमिति किया जाता है।
- वक्फ का प्रबंधन:
 - एक सर्वेक्षण आयुक्त स्थानीय जांच करके, गवाहों को बुलाकर और सार्वजनिक दस्तावेजों की मांग करके वक्फ के रूप में घोषित सभी संपत्तियों को सूचीबद्ध करता है।
 - वक्फ का प्रबंधन एक मुतवली/मुतवल्ली द्वारा किया जाता है, जो पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है।
 - भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत स्थापित ट्रस्ट जो व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं और बोर्ड द्वारा जनिका वधितन किया जा सकता है, के विपरीत वक्फ के उद्देश्य विशेष रूप से धार्मिक एवं धर्मार्थ उपयोगों के लिये होते हैं तथा इन्हें स्थायी माना जाता है।
 - वक्फ या तो सार्वजनिक (जो धर्मार्थ उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं) हो सकते हैं, या नजी (जो संपत्तियों के स्वामी के प्रत्यक्ष वंशजों को लाभ पहुँचाते हैं) हो सकते हैं।
 - वक्फ के गठन के लिये व्यक्तिका शांत चित्त का होना चाहिये और संपत्तिका वैध स्वामित्व होना चाहिये। दलितस्प बात यह है कि वक्फ के संस्थापक, जिन्हें वक्फ के रूप में जाना जाता है, को मुस्लिम होने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि वे इस्लामी सिद्धांतों में विश्वास करते हैं।
- वक्फ बोर्ड:
 - वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है जो संपत्ति अर्जित करने, उसे रखने और हस्तांतरित करने में सक्षम है। यह मुकदमा करने और न्यायालय में मुकदमा किये जाने दोनों में सक्षम है।
 - यह वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है, खोई हुई संपत्तियों को वापस प्राप्त करता है और बिक्री, उपहार, बंधक ऋण या गरिबी करज, वनियम या पट्टे के माध्यम से अचल वक्फ संपत्तियों के हस्तांतरण को मंजूरी देता है, जिसमें बोर्ड के कम से कम दो-तह्रिई सदस्य लेनदेन के पक्ष में मतदान करते हैं।
 - वर्ष 1964 में स्थापित केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC) पूरे भारत में राज्य स्तरीय वक्फ बोर्डों की देखरेख और सलाह देती है।
- वक्फ संपत्तियों: वक्फ बोर्ड को भारत में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूमिधारक कहा जाता है।
 - वर्तमान में 8 लाख एकड़ में फैली 8,72,292 पंजीकृत वक्फ संपत्तियाँ हैं। इन संपत्तियों से 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है।
 - एक बार जब किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाता है तो वह अहस्तांतरणीय हो जाती है और ईश्वर के पूर्ति एक धर्मार्थ कार्य के रूप में स्थायी रूप से सुरक्षित रहती है, जो अनविरय रूप से ईश्वर को स्वामित्व हस्तांतरित कर देती है।

नषिकर्ष

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2024 भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ाता है। शासन, जवाबदेही और संपत्तियों के उपयोग में सुधार करके यह वक्फ बोर्डों को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि लाभ लक्ष्य समुदायों तक पहुँचे। इस संशोधन का उद्देश्य सामाजिक कल्याण एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए वक्फ की अखंडता को बनाए रखना है, जिससे संभावित रूप से अधिक विश्वास और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा मिलेगा।

प्रश्न. धार्मिक अल्पसंख्यकों के मामलों के प्रबंधन में राज्य के हस्तक्षेप का डर प्रतीत होता है। क्या आप इससे सहमत हैं? वक्फ अधिनियम, 1995 में प्रस्तावित संशोधनों के आलोक में चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. धर्मनरिपेक्षता की भारतीय अवधारणा धर्मनरिपेक्षता के पश्चिमी मॉडल से कैसे भिन्न है? चर्चा कीजिये। (2018)